

2023/94

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

33/23

धारा अंतर्गत
212 RTA

ग्राम
हरिपुरा

तहसील
बारां

वादी
रामकल्याण

वाद शीर्षक
बनाम

प्रतिवादी
द्रोपदी बाई वगै०

वकील :- श्री

दिनांक

आदेश पत्रक

वकील:-

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

14.06.2023

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थी के न्याया० में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 01.08.2023 को पेश हो।

1-8-23

गौठासीन अधिकारी रामकल्याण
में रहने से पूर्ववत दिनांक 14-8-23
को प्रस्तुत हो।

14-8-23

गौठासीन अधिकारी रामकल्याण
में रहने से पूर्ववत दिनांक 10-10-23
को प्रस्तुत हो।

10-10-23

पत्रावली आज पेश हुई। वकील उत्पीडित भद्रावती की तलवी हेतु तलवपत्रा देना पत्रावली बाह्य तलवी दिनांक 12-12-23 को पेश हो।

6-2-24

गौठासीन अधिकारी रामकल्याण
में रहने से पूर्ववत दिनांक 21-3-24
को प्रस्तुत हो।

21-3-24

गौठासीन अधिकारी रामकल्याण
में रहने से पूर्ववत दिनांक 14-5-24
को प्रस्तुत हो।

14-5-24

गौठासीन अधिकारी रामकल्याण
में रहने से पूर्ववत दिनांक 3-7-24
को प्रस्तुत हो।

पत्रावली
2025

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

उ-28 पत्रावली काज पेन्ना हरे प्रार्थी एवं अउनी
उक्त नही प्रार्थी एवं अउनी के तिन बाप
अपाज लगपके हरे । बापजुद सूचना के प्रार्थी
एवं अउनी न्यायालय के उक्त नही । अतः
प्रार्थी का बापजुद अयम हालती अयम
पत्रावली के तबरीज लिपा जाता है पत्रावली
बाप तबरीज तबरीज के फिलहाल मुमाल होकर
दाखिल करत है ^{इसपत्रावली} अधिकारी _{बाप}